आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 06/2019–2020

राम प्रवेश सिंह वनाम् राम जन्म सिंह एवं अन्य

आदेश

22/08/19

आवेदक राम प्रवेश सिंह, पिता–स्व०–विष्णु दयाल सिंह, ग्राम–मुरादपुर हुजरा, बैदराबाद, थाना+जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि को नापी कराने एवं पिलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
20	119	$17\frac{2}{3}$ डी० में जानिब उतर 8.83 डी०	उतर–सीवान मुरादपुर हुजरा दक्षिण–राम जन्म सिंह पूरब–बबन यादव वो छोटे यादव पश्चिम–एन० एच०–139

अवस्थित मौजा–मुरादपुर हुजरा, अंचल–अरवल, थाना+जिला–अरवल

वाद की प्रविष्टि की गई। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। कार्यालय परिचारी से नोटिस तामिला कराया गया। प्रतिवादी संख्या–01 और 02 नोटिस लेने से इंकार किया एवं प्रतिवादी संख्या–03 नोटिस तामिला प्राप्त किया, परन्तु न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादीगण को निबंधित डाक से न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा गया। प्रतिवादी नं०–01 का नोटिस वापस हुआ। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही हुए तथा वाद को एकपक्षीय सुनवाई किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से 1973 में दोंनों भाईयों के नाम से खरीदगी भूमि है जिसपर आवेदक एवं आवेदक के भाई राम नरेश सिंह द्वारा खेती का कार्य करते है।

(2) वादी विवादित भूमि पर शांति दखल कब्जा में रहते हुए राजस्व का भुगतान कर रहे है।

(3) प्रतिवादीगण जवरदस्ती मेड़ को तोड़कर अपने खेत में मिलाना चाहते है।

(4) विवादित भूमि का पैमाईश प्राईवेट अमीन से कराया गया जिसे प्रतिवादीगण मानने को तैयार नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मांगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

वादी को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। वादी द्वारा श्री चन्द्रशेखर मिश्र, पिता–स्व० वालदेव प्रसाद मिश्र से दिनांक 21.06.1973 को वादी अपने एवं भाई श्री राम नरेश सिंह के नाम से निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि खरीद किया है। वादी द्वारा 20.08.2019 के राजस्व रसीद में कुल $0.27\frac{1}{2}$ डी० भूमि का जिक्र किया गया है जबकि निबंधित केवाला में दोंनों भाई के नाम से कुल $17\frac{2}{3}$ डी० खरीदी की गई है। वादी द्वारा यह नही कहा गया है कि दोंनों भाईयों का बॉटवारा हुआ है या नही ना ही पक्ष बनाया गया है न ही कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वैसी स्थिति में अनुतोष नही दिया जा सकता है। वाद को खारीज किया जाता है। वादी को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत् भूमि की नापी हेतु बिहार काश्ताकारी (संशोधन) नियमावली 2018 के तहत अंचल अधिकारी, अरवल के न्यायालय में नापी हेतु वाद दायर करें।

लेखापित एवं संशोधित

22/08/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

22/08/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।